भारत गणराज्य सरकार
और
वियतनाम समाजवादी गणराज्य सरकार
के बीच
विमान सेवा करार

भारत गणराज्य सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य सरकार (जिन्हें इसके पश्चात् "पक्षकार" कहा गया है),

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेन्शन के पक्षकार होते हुए, जो 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था;

अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओंको बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए;

प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए; और

अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओंमें उच्चतम स्तर की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की इच्छा रखते हुए तथा विमान की सुरक्षा के विरुद्ध ऐसे कृत्यों या धमकियों के बारे में अपनी गंभीर चिंता की पुनर्पुष्टि करते हुए, जो व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, विमान सेवाओं के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और नागरिक विमानन की सुरक्षा में जन-विश्वास को कमजोर करते हैं;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1
परिभाषाएँ

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ है:

1. "वायुवाहन प्राधिकरण" से, भारत गणराज्य सरकार के मामले में, नागर विमानन महानिदेशालय और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के मामले में, परिवहन मंत्रालय का वियतनाम नागर विमानन प्राधिकरण अभिप्रेत है; दोनों मामलों में ऐसा कोई अन्य व्यक्ति या निकाय भी अभिप्रेत है जिसे उक्त वायुवाहन प्राधिकरणों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे किसी कार्य को करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

2. "समझौता" से यह समझौता, इसका अनुलग्नक और इसमें किए गए कोई भी संशोधन अभिप्रेत हैं।

3. "विमान सेवा", "अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा", "एयरलाइन" और "गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए ठहराव" के वही अर्थ होंगे जो कन्वेन्शन के अनुच्छेद 96 में उन्हें दिए गए हैं।

4. "क्षमता" से समझौते के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवा की मात्रा अभिप्रेत है, जिसे सामान्यतः किसी बाजार (शहर-युग्म या देश-से-देश) में या किसी मार्ग पर किसी विशिष्ट अवधि, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मौसमी या वार्षिक, के दौरान उड़ानों (फ्रीक्वेंसी), सीटों या प्रस्तावित कार्गो के टन की संख्या से मापा जाता है।

5. "कन्वेन्शन" से 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोला गया अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन कन्वेन्शन अभिप्रेत है, और इसमें कन्वेन्शन के अनुच्छेद 94(क) के अधीन प्रभावी हुआ और दोनों पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थित कोई संशोधन तथा कन्वेन्शन के अनुच्छेद 90 के अधीन अंगीकृत कोई अनुलग्नक या उसका कोई संशोधन भी शामिल है, जहाँ तक ऐसे अनुलग्नक या संशोधन किसी भी समय दोनों पक्षकारों के लिए प्रभावी हों।

6. "नामित एयरलाइन" से इस समझौते के अनुच्छेद 3 (एयरलाइनों का नामांकन और प्राधिकरण) के अनुसार नामित और अधिकृत कोई एयरलाइन अभिप्रेत है।

7. "पूर्ण लागत" से सेवा प्रदान करने की लागत तथा प्रशासनिक उपरिव्यय के लिए उचित प्रभार अभिप्रेत है।

8. "अंतर-माध्यम विमान परिवहन" से यात्रियों, सामान, कार्गो और डाक का पारिश्रमिक या किराए के लिए, अलग-अलग या संयोजन में, विमान द्वारा तथा परिवहन के एक या अधिक सतही माध्यमों द्वारा सार्वजनिक परिवहन अभिप्रेत है।

9. "टैरिफ" से यात्रियों (और उनके सामान) और/या कार्गो (डाक को छोड़कर) के विमान सेवा द्वारा परिवहन के लिए एयरलाइन(ओं), जिनमें उनके एजेंट भी शामिल हैं, द्वारा लगाए गए किसी किराए, दर या प्रभार तथा ऐसे किराए, दर या प्रभार की उपलब्धता को नियंत्रित करने वाली शर्तें अभिप्रेत हैं।

10. "राज्यक्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो उसे कन्वेन्शन के अनुच्छेद 2 में दिया गया है।

11. "उपयोगकर्ता प्रभार" से एयरलाइन(ओं) पर विमान अड्डा, विमान नौवहन या विमानन सुरक्षा सुविधाओं या सेवाओं, जिनमें विमान, उनके चालक दल, यात्री, सामान और कार्गो के लिए संबंधित सेवाएँ और सुविधाएँ शामिल हैं, के प्रावधान के लिए लगाया गया कोई प्रभार अभिप्रेत है।

अनुच्छेद 2

अधिकार प्रदान करना

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस समझौते में निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है, ताकि इस समझौते के अनुलग्नक के उपयुक्त खंड या भाग में निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएँ स्थापित की जा सकें। ऐसी सेवाओं और मार्गों को क्रमशः "सहमत सेवाएँ" और "निर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा।

2. इस समझौते के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन(ओं) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

(क) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर बिना उतरे उड़ान भरने का;

(ख) गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ठहराव करने का; और

(ग) इस समझौते के अनुलग्नक में उस मार्ग के लिए निर्दिष्टस्थलओं पर सहमत सेवा संचालित करते समय, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन(ओं) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में यात्रियों और कार्गो, जिसमें डाक भी शामिल है, को अलग-अलग या संयोजन में अंतरराष्ट्रीय यातायात के रूप में चढ़ाने और उतारने का अधिकार भी प्राप्त होगा।

3. प्रत्येक पक्षकार की वे एयरलाइन(एयरलाइंस), जो इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अधीन नामित नहीं हैं, भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों का उपभोग करेंगी।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में किसी बात को इस प्रकार नहीं समझा जाएगा कि वह एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ऐसे यात्रियों और कार्गो, जिसमें डाक भी शामिल है, को चढ़ाने का विशेषाधिकार प्रदान करती है, जो उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के किसी अन्यस्थल के लिए नियत हों।

5. यदि विशेष और असामान्य परिस्थितियों के कारण किसी पक्षकार की नामित एयरलाइन अपने सामान्य मार्ग पर सेवा संचालित करने में असमर्थ हो, तो दूसरा पक्षकार ऐसी सेवा के निरंतर प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे उपयुक्त अस्थायी मार्ग-व्यवस्था हेतु अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा, जिस पर पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया हो।

6. एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) को दूसरे पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वायुमार्गों, विमान अड्डों और अन्य सुविधाओं का गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 3

एयरलाइनों का नामांकन और प्राधिकरण

1. प्रत्येक पक्षकार को निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजन के लिए एक एयरलाइन या एयरलाइनों को नामित करने और ऐसे नामांकन को वापस लेने का अधिकार होगा। ऐसे नामांकन लिखित रूप में किए जाएंगे और राजनयिक माध्यमों से दूसरे पक्षकार को प्रेषित किए जाएंगे तथा इनमें यह पहचान की जाएगी कि एयरलाइन अनुलग्नक में निर्दिष्ट प्रकार की विमान सेवाएँ संचालित करने के लिए अधिकृत है।

2. ऐसे नामांकन और दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) से निर्धारित रूप और तरीके में आवेदन प्राप्त होने पर, दूसरे पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरण न्यूनतम प्रक्रियात्मक विलंब के साथ उपयुक्त प्रचालन प्राधिकरण प्रदान करेंगे, बशर्ते कि:

(क) उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामित करने वाले पक्षकार या उसके राष्ट्रिकों में निहित हो;

(ख) नामित एयरलाइन उस पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओंके प्रचालन पर सामान्यतः लागू किए जाने वाले कानूनों और विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य हो; और

(ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्षकार अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) और अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों को बनाए रख रहा हो और उनका प्रशासन कर रहा हो।

अनुच्छेद 4
प्रचालन प्राधिकरण का निरसन या निलंबन

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित किसी एयरलाइन को प्रदान किए गए प्रचालन प्राधिकरण को निरस्त या निलंबित कर सकता है या ऐसी कोई शर्त लगा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे, यदि:

(क) उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्षकार या उसके राष्ट्रिकों में निहित नहीं है;

(ख) उस एयरलाइन ने इस समझौते के अनुच्छेद 6 (कानूनों का अनुप्रयोग) में निर्दिष्ट कानूनों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया है; या

(ग) दूसरा पक्षकार अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) में निर्धारित मानकों को बनाए नहीं रख रहा है और उनका प्रशासन नहीं कर रहा है।

2. जब तक खंड (ख) और (ग) के साथ आगे अनुपालन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक न हो, इस अनुच्छेद के अधीन अधिकारों का प्रयोग दूसरे पक्षकार के साथ परामर्श के बाद ही किया जाएगा।

3. यह अनुच्छेद किसी पक्षकार के इस अधिकार को सीमित नहीं करता कि वह अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) के उपबंधों के अनुसार दूसरे पक्षकार की किसी एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकरण को रोक सकता है, निरस्त कर सकता है, सीमित कर सकता है या उस पर शर्तें लगा सकता है।

अनुच्छेद 5
सहमत सेवाओं के प्रचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइनों को अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिए निष्पक्ष और समान अवसर होंगे।

2. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और संचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति दोनों पक्षकारों के बीच सहमत की जाएगी।

3. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और संचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई वृद्धि दोनों पक्षकारों के बीच सहमति के अधीन होगी। ऐसी सहमति या समाधान लंबित रहने तक, पहले से प्रभावी क्षमता और आवृत्ति के अधिकार लागू रहेंगे।

4. पूर्वगामी के बावजूद, प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइनों को दोनों पक्षकारों के राज्यक्षेत्रों के बीच किसी भी प्रकार के विमान से, मार्ग अनुसूची में निर्दिष्टस्थलओं के बावजूद, पूर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के साथ किसी भी संख्या में केवल-कार्गो सेवाएँ संचालित करने का अधिकार होगा। ऐसी केवल-कार्गो सेवाएँ किसी अन्य एयरलाइन(ओं), जिनमें तीसरे देशों की एयरलाइनें भी शामिल हैं, के साथ कोड-शेयर, ब्लॉक्ड स्पेस आदि जैसी सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी संचालित की जा सकती हैं।

अनुच्छेद 6
कानूनों का अनुप्रयोग

1. किसी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते हुए या उसे छोड़ते समय, विमान के प्रचालन और नौवहन से संबंधित उसके कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं का दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

2. किसी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते हुए या उसे छोड़ते समय, यात्रियों, सामान, चालक दल या विमान पर कार्गो के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश या वहां से प्रस्थान से संबंधित उसके कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं (जैसे प्रवेश, क्लियरेंस, विमानन सुरक्षा, आव्रजन, पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संगरोध से संबंधित विनियम तथा डाक के मामले में डाक संबंधी विनियम) का दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, चालक दल या कार्गो प्रेषकों द्वारा या उनकी ओर से अनुपालन किया जाएगा।

3. कोई भी पक्षकार समान अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगे दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन की अपेक्षा अपनी स्वयं की या किसी अन्य एयरलाइन को इस समझौते में दिए गए कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग में प्राथमिकता नहीं देगा।

4. किसी पक्षकार के राज्यक्षेत्र से होकर प्रत्यक्ष पारगमन में रहने वाले और ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित विमान अड्डे के क्षेत्रों से बाहर न जाने वाले यात्रियों, सामान और कार्गो पर हिंसा, विमान डकैती, मादक पदार्थ नियंत्रण आदि के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को छोड़कर, केवल सरल नियंत्रण से अधिक नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 7
उपयोगकर्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार के सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों द्वारा दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) पर लगाए जा सकने वाले उपयोगकर्ता प्रभार न्यायसंगत, उचित और भेदभावरहित होंगे तथा सभी श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं के बीच समान रूप से विभाजित होंगे। ऐसे प्रभार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) पर ऐसे नियमों और शर्तों से कम अनुकूल नहीं लगाए जाएंगे जो प्रभार लगाए जाने के समय किसी अन्य एयरलाइन के लिए उपलब्ध हों।

2. दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) पर लगाए गए उपयोगकर्ता प्रभार उचित विमान अड्डा, पर्यावरणीय, विमान नौवहन और विमानन सुरक्षा सुविधाएँ तथा विमान अड्डे पर या विमान अड्डा प्रणाली के भीतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों की पूर्ण लागत को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, किंतु उससे अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में मूल्यह्रास के बाद परिसंपत्तियों पर उचित प्रतिफल शामिल हो सकता है। जिन सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं, वे कुशल और आर्थिक आधार पर प्रदान की जाएँगी।

3. प्रत्येक पक्षकार अपने राज्यक्षेत्र में सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों और सेवाओं तथा सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित एयरलाइन(ओं) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों और एयरलाइनों को ऐसी सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रोत्साहित करेगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (2) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार प्रभारों की युक्तिसंगतता की सटीक और पारदर्शी समीक्षा करने के लिए आवश्यक हो। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकरणों को उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ता प्रभारों में किसी प्रस्तावित परिवर्तन की उचित सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि परिवर्तन लागू किए जाने से पहले उपयोगकर्ता अपने विचार व्यक्त कर सकें।

4. किसी पक्षकार को अनुच्छेद 20 (विवादों का निपटारा) के अनुसार विवाद समाधान प्रक्रियाओं में इस अनुच्छेद के किसी उपबंध के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा, यदि:

(क) उसने दूसरे पक्षकार द्वारा शिकायत किए गए प्रभार या प्रथा की उचित समय के भीतर समीक्षा की हो; और

(ख) ऐसी समीक्षा के बाद, उसने इस अनुच्छेद के असंगत किसी प्रभार या प्रथा को सुधारने के लिए अपने अधिकार में आने वाले सभी कदम उठाए हों।

अनुच्छेद 8
सीमा-शुल्क और प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार पारस्परिकता के सिद्धांत पर, अपने राष्ट्रीय कानून के अधीन यथासंभव अधिकतम सीमा तक, दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) को विमान, विमान ईंधन, चिकनाई तेल, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, इंजनों सहित स्पेयर पार्ट्स, नियमित विमान उपकरण, विमान भंडार (जिसमें खाद्य, पेय और मदिरा, तंबाकू तथा अन्य उत्पाद, जो बिक्री के लिए या विमान के प्रचालन के संबंध में पूर्णतः उपयोग किए जाने के लिए हों, शामिल हैं) और मुद्रित टिकट स्टॉक, एयर वे बिल, कंपनी का प्रतीक चिह्न मुद्रित कोई मुद्रित सामग्री तथा नामित एयरलाइन(ओं) द्वारा नि:शुल्क वितरित सामान्य प्रचार सामग्री जैसी अन्य वस्तुओं पर सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य राष्ट्रीय शुल्कों तथा प्रभारों से छूट देगा।

2. इस अनुच्छेद के अधीन छूट केवल तभी दी जाएगी जब पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट वस्तुएँ:

(क) एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) द्वारा या उनकी ओर से लाई गई हों;

(ख) दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में आगमन पर या उसे छोड़ते समय किसी पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) के विमान में रखी गई हों; या

(ग) सहमत सेवाओं के प्रचालन में उपयोग के लिए एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) के विमान पर दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में चढ़ाई गई हों।

3. इस अनुच्छेद के अधीन छूट इस तथ्य की परवाह किए बिना लागू होगी कि ऐसी वस्तुएँ छूट प्रदान करने वाले पक्षकार के राज्यक्षेत्र के भीतर पूर्णतः उपयोग या उपभोग की गई हैं या नहीं, बशर्ते ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व उक्त पक्षकार के राज्यक्षेत्र में हस्तांतरित न हुआ हो।

4. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) के विमान पर सामान्यतः रखे जाने वाले नियमित विमान-उपकरण तथा सामग्री और आपूर्तियाँ दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में उस पक्षकार के सीमा-शुल्क प्राधिकरणों की स्वीकृति के बिना उतारी नहीं जा सकेंगी। ऐसी स्थिति में उन्हें उक्त प्राधिकरणों की निगरानी में तब तक रखा जा सकता है जब तक कि उन्हें पुनः निर्यात न कर दिया जाए या सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार अन्यथा उनका निपटान न कर दिया जाए।

अनुच्छेद 9
सुरक्षा

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित किसी एयरलाइन के संबंध में वायुवाहन सुविधाओं, वायु-चालक दल, विमान और नामित एयरलाइन(ओं) के प्रचालन से संबंधित बनाए रखे गए सुरक्षा मानकों के बारे में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श अनुरोध की तारीख से 30 दिनों के भीतर या पक्षकारों द्वारा सहमत किसी अधिक लंबी अवधि के भीतर किया जाएगा।

2. ऐसे परामर्श के बाद, यदि एक पक्षकार यह पाता है कि पैराग्राफ (1) में उल्लिखित क्षेत्रों में उस समय कन्वेन्शन के अनुसार स्थापित मानकों को पूरा करने वाले सुरक्षा मानकों को दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन(ओं) के संबंध में प्रभावी रूप से बनाए नहीं रखा और प्रशासित नहीं किया जा रहा है, तो दूसरे पक्षकार को ऐसे निष्कर्षों और इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने के लिए आवश्यक समझे गए कदमों की सूचना दी जाएगी और दूसरा पक्षकार उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

3. प्रत्येक पक्षकार उस स्थिति में दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन(ओं) के प्रचालन प्राधिकरण को निलंबित या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब दूसरा पक्षकार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता।

4. यह सहमति है कि किसी पक्षकार की एयरलाइन द्वारा दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र से या उसके लिए संचालित सेवाओं पर प्रयुक्त कोई भी विमान, दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में रहते हुए, दूसरे पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विमान के भीतर और उसके आसपास जाँच का विषय बनाया जा सकता है, ताकि विमान के दस्तावेजों और उसके चालक दल के दस्तावेजों की वैधता तथा विमान और उसके उपकरणों की प्रत्यक्ष स्थिति की जाँच की जा सके (इस अनुच्छेद में इसे "रैंप निरीक्षण" कहा गया है), बशर्ते इससे अनुचित विलंब न हो।

   यदि ऐसा कोई रैंप निरीक्षण या रैंप निरीक्षणों की श्रृंखला इस प्रकार की गंभीर चिंता उत्पन्न करती है कि–

   – कोई विमान या विमान का प्रचालन उस समय कन्वेन्शन के अनुसार स्थापित न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं करता है; या

   – उस समय कन्वेन्शन के अनुसार स्थापित सुरक्षा मानकों के प्रभावी रखरखाव और प्रशासन का अभाव है;

   तो निरीक्षण करने वाला पक्षकार, कन्वेन्शन के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनों के लिए, यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि उस विमान या उसके चालक दल के संबंध में प्रमाणपत्र या लाइसेंस जारी या वैध किए जाने के लिए जिन अपेक्षाओं के अधीन प्रमाणपत्र या लाइसेंस जारी या वैध किए गए थे, वे कन्वेन्शन के अनुसार स्थापित न्यूनतम मानकों के बराबर या उनसे ऊपर नहीं हैं, या जिन अपेक्षाओं के अधीन उस विमान का प्रचालन किया जाता है, वे उन न्यूनतम मानकों के बराबर या उनसे ऊपर नहीं हैं।

5. यदि किसी पक्षकार की एयरलाइन द्वारा संचालित विमान के रैंप निरीक्षण के प्रयोजन से इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अनुसार प्रवेश को उस एयरलाइन के प्रतिनिधि द्वारा अस्वीकार किया जाता है, तो दूसरा पक्षकार पैराग्राफ (6) में उल्लिखित प्रकार की गंभीर चिंताएँ मौजूद होने का निष्कर्ष निकालने और उस पैराग्राफ में उल्लिखित निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की एयरलाइन या एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकरण को तत्काल निलंबित या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि पहला पक्षकार रैंप निरीक्षण, रैंप निरीक्षणों की श्रृंखला, रैंप निरीक्षण के लिए प्रवेश से इनकार, परामर्श या अन्यथा के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी एयरलाइन के प्रचालन की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

7. प्रत्येक पक्षकार द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) या (7) के अनुसार की गई कोई कार्रवाई तब बंद कर दी जाएगी जब उस कार्रवाई के लिए आधार समाप्त हो जाए।

अनुच्छेद 10
विमानन संरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अधीन अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुसार, दोनों पक्षकार पुनः पुष्टि करते हैं कि गैरकानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागरिक विमानन की संरक्षा करना एक-दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस समझौते का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अधीन अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, पक्षकार विशेष रूप से 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में संपन्न विमान पर किए गए अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित कन्वेन्शन, 16 दिसंबर, 1970 को हेग में संपन्न विमान के गैरकानूनी अपहरण के दमन संबंधी कन्वेन्शन, 23 सितंबर, 1971 को मॉन्ट्रियल में संपन्न नागरिक विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन संबंधी कन्वेन्शन और 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में संपन्न उसके प्रोटोकॉल तथा विमानन संरक्षा संबंधी किसी अन्य ऐसे कन्वेन्शन, जिसके दोनों पक्षकार सदस्य बनें, के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. अनुरोध किए जाने पर, दोनों पक्षकार एक-दूसरे को नागरिक विमानों के गैरकानूनी अपहरण के कृत्यों और ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक दल, विमान अड्डों और विमान नौवहन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैरकानूनी कृत्यों को रोकने तथा नागरिक विमान नौवहन की संरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे का सामना करने हेतु सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्षकार अपने पारस्परिक संबंधों में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और कन्वेन्शन के अनुलग्नकों के रूप में नामित सभी विमानन संरक्षा मानकों और उपयुक्त अनुशंसित प्रथाओं के अनुरूप कार्य करेंगे; वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके रजिस्ट्री के विमान संचालक, ऐसे विमानों के संचालक जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास उनके राज्यक्षेत्र में है और उनके राज्यक्षेत्र में विमान अड्डों के संचालक ऐसी विमानन संरक्षा व्यवस्था के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उससे प्रस्थान के लिए अपेक्षित संरक्षा उपबंधों का पालन करने और विमानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने तथा चढ़ने या लदान से पहले और उसके दौरान यात्रियों, चालक दल और उनके सामान तथा साथ ले जाए जाने वाले सामान, साथ ही कार्गो और विमान भंडार का निरीक्षण करने पर सहमत है। प्रत्येक पक्षकार किसी विशेष खतरे से निपटने के लिए दूसरे पक्षकार के विशेष संरक्षा उपायों के अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब विमान के गैरकानूनी अपहरण की किसी घटना या ऐसी घटना की धमकी अथवा यात्रियों, चालक दल, विमान, विमान अड्डों या विमान नौवहन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैरकानूनी कृत्यों की घटना या धमकी उत्पन्न होती है, तो दोनों पक्षकार संचार और ऐसी अन्य उपयुक्त कार्रवाइयों को सुगम बनाकर एक-दूसरे की सहायता करेंगे, जिनका उद्देश्य ऐसी घटना या धमकी को शीघ्रता और सुरक्षित रूप से समाप्त करना हो।

6. जब किसी पक्षकार के पास यह मानने के उचित आधार हों कि दूसरे पक्षकार ने इस अनुच्छेद के विमानन संरक्षा उपबंधों से विचलन किया है, तो उस पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरण दूसरे पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरणों के साथ तत्काल परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध की तारीख से 15 दिनों के भीतर संतोषजनक समझौते पर पहुँचने में विफलता उस पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) के प्रचालन प्राधिकरण को रोकने, निरस्त करने, सीमित करने या उस पर शर्तें लगाने का आधार होगी। आपात स्थिति में, कोई भी पक्षकार 15 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

7. पैराग्राफ (6) के अनुसार की गई कोई कार्रवाई दूसरे पक्षकार द्वारा इस अनुच्छेद के उपबंधों का अनुपालन किए जाने पर बंद कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 11
वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(ओं) को विमान सेवाओंतथा विमान सेवाओंके प्रावधान के लिए आवश्यक अन्य सहायक उत्पादों और सुविधाओं के प्रचार और बिक्री के लिए दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(ओं) को प्रवेश, निवास और रोजगार से संबंधित दूसरे पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार, विमान सेवाओंतथा अन्य सहायक उत्पादों और सुविधाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक प्रबंधकीय, बिक्री, तकनीकी, परिचालन और अन्य विशेषज्ञ कर्मचारियों को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में लाने और बनाए रखने का अधिकार होगा। ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता, एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी राष्ट्रीयता के उसके अपने कार्मिकों द्वारा या दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में संचालित और ऐसे दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएँ करने के लिए अधिकृत किसी अन्य एयरलाइन, संगठन या कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके पूरी की जा सकती है।

3. प्रत्येक पक्षकार की कोई भी एयरलाइन दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में सीधे तथा एयरलाइन के विवेकानुसार अपने एजेंटों के माध्यम से विमान सेवाओंऔर अपने सहायक उत्पादों, सेवाओं तथा सुविधाओं की बिक्री कर सकती है। इस प्रयोजन के लिए, एयरलाइन को अपने स्वयं के परिवहन दस्तावेजों का उपयोग करने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति उस राज्यक्षेत्र की मुद्रा या स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में ऐसे परिवहन तथा सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. नीचे दिए गए पैराग्राफ 6 के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(ओं) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में विमान परिवहन तथा अन्य सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की बिक्री के संबंध में ऐसी एयरलाइनों द्वारा अर्जित, स्थानीय रूप से वितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्व तथा ऐसे राजस्व पर अर्जित ब्याज (हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रही जमाओं पर अर्जित ब्याज सहित) को मांग पर किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित और हस्तांतरित करने का अधिकार होगा। रूपांतरण और प्रेषण बिना किसी प्रतिबंध या उस पर कराधान के, वर्तमान लेन-देन और उस तारीख को प्रेषण के लिए लागू विनिमय दर पर, जिस तारीख को एयरलाइन प्रेषण के लिए प्रारंभिक आवेदन करती है, शीघ्रता से अनुमत होगा।

5. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(ओं) को दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में स्थानीय खर्चों, जिसमें ईंधन की खरीद भी शामिल है, का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने की अनुमति होगी। अपने विवेकानुसार, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(ओं) द्वारा ऐसे खर्चों का भुगतान दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में दूसरे

पक्षकार के राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भी किया जा सकता है।

6. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अनुच्छेद के अधीन अधिकारों का प्रयोग लागू घरेलू कानूनों, नियमों और विनियमों, जिसमें घरेलू कर कानून भी शामिल हैं, के अनुसार होगा।

अनुच्छेद 12
सहकारी विपणन व्यवस्थाएँ

1. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) को कोड-शेयर, ब्लॉक स्पेस या किसी अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था जैसी सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में निम्नलिखित के साथ प्रवेश करने की अनुमति होगी:

(क) उसी पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) के साथ; या

(ख) दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) के साथ; या

(ग) किसी तीसरे देश की नामित एयरलाइन(ओं) के साथ।

2. सहकारी विपणन व्यवस्थाओं में शामिल प्रचालन एयरलाइन(ओं) के पास मार्ग अधिकारों और क्षमता अधिकारों सहित मूलभूत यातायात अधिकार होंगे और वे ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

3. सहकारी व्यवस्थाओं में शामिल सभी विपणन एयरलाइन(ओं) के पास मूलभूत मार्ग अधिकार होंगे और वे ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

4. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत निष्पादित विमान सेवाओंद्वारा संचालित कुल क्षमता की गणना केवल उस पक्षकार के क्षमता अधिकार के विरुद्ध की जाएगी जो प्रचालन एयरलाइन(ओं) को नामित करता है। ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन(ओं) द्वारा प्रस्तावित क्षमता की गणना उस पक्षकार के क्षमता अधिकार के विरुद्ध नहीं की जाएगी जो उस एयरलाइन को नामित करता है।

5. किसी भी पक्ष की नामित एयरलाइन(ओं) को कोड-शेयर प्रचालन में शामिल विमानों के बीच यातायात (अर्थात् स्टारबर्स्ट) को विमानों की संख्या, आकार और प्रकार पर बिना किसी प्रतिबंध के स्थानांतरित करने की अनुमति होगी।

6. प्रचालन एयरलाइन(ओं) के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्ष के वायुवाहन प्राधिकरण विपणन एयरलाइन(ओं) से अनुमोदन के लिए अनुसूचियाँ दाखिल करने तथा सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत विमान सेवाएँ शुरू होने से पहले कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकते हैं।

7. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत बिक्री के लिए सेवाएँ प्रस्तुत करते समय, संबंधित एयरलाइन या उसका एजेंट बिक्री केस्थल पर क्रेता को यह स्पष्ट करेगा कि सेवा के प्रत्येक खंड पर कौन-सी एयरलाइन प्रचालन एयरलाइन होगी और क्रेता किस एयरलाइन(ओं) के साथ संविदात्मक संबंध में प्रवेश कर रहा है।

8. कोड-शेयर सेवाएँ प्रदान करने से पहले, कोड-शेयर भागीदार इस बात पर सहमत होंगे कि संरक्षा, सुरक्षा, सुगमीकरण, दायित्व और अन्य उपभोक्ता-संबंधी मामलों के लिए कौन-सा पक्षकार जिम्मेदार होगा। ऐसी व्यवस्था को कोड-शेयर व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन से पहले दोनों पक्षकारों के वायुवाहन प्राधिकरणों के पास दाखिल किया जाएगा।

अनुच्छेद 13
अंतर-माध्यम सेवाएँ

प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) को यात्रियों और कार्गो के विमान परिवहन के संबंध में दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में या उसके किसीस्थल से आने-जाने के लिए किसी भी अंतर-माध्यम परिवहन का उपयोग करने की अनुमति होगी। ऐसी एयरलाइन(ओं) को अपना स्वयं का अंतर-माध्यम परिवहन करने या कोड-शेयर सहित व्यवस्थाओं के माध्यम से अन्य वाहकों के साथ इसे उपलब्ध कराने का विकल्प होगा। अंतर-माध्यम सेवाएँ विमान और अंतर-माध्यम परिवहन के संयुक्त रूप में एक ही कीमत पर और एक सतत सेवा के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं, बशर्ते यात्रियों और प्रेषकों को ऐसे परिवहन के प्रदाताओं के बारे में सूचित किया गया हो।

अनुच्छेद 14
अनुसूचियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरण दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) से सहमत सेवाओं के आरंभ से कम-से-कम 30 दिन पहले अपने विचार और अनुमोदन के लिए ऐसी उड़ान अनुसूचियाँ दाखिल करने की अपेक्षा कर सकते हैं जिनमें सेवा के प्रकार और उसकी आवृत्ति, प्रयुक्त किए जाने वाले विमान का प्रकार तथा प्रत्येकस्थल पर उड़ान के समय से संबंधित सूचना हो। प्रत्येक IATA यातायात मौसम के लिए कम-से-कम 30 दिन पहले ऐसी ही सूचना दी जाएगी तथा सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में जब भी कोई परिवर्तन किया जाना हो, तब भी दी जाएगी।
2. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) द्वारा ऐसी अन्य सूचना भी उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी आवश्यकता दूसरे पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरणों को यह संतुष्ट करने के लिए हो सकती है कि इस समझौते की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 15
सांख्यिकीय सूचना का प्रावधान

1. प्रत्येक पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरण दूसरे पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरणों को, या अपनी नामित एयरलाइन(ओं) से उपलब्ध कराने के लिए कहकर, प्रत्येक माह सहमत सेवाओं पर उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र से और उसके लिए किए गए यातायात से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराएँगे, जिनमें ऐसे यातायात के चढ़ने और उतरने केस्थल दर्शाए जाएंगे। ऐसे आँकड़े प्रत्येक माह के अंत के बाद यथाशीघ्र, किंतु उस माह के समाप्त होने के 30 दिनों से बाद नहीं, उपलब्ध कराए जाएंगे।
2. प्रत्येक पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरण, अनुरोध किए जाने पर, दूसरे पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरणों को, या अपनी नामित एयरलाइन(ओं) से उपलब्ध कराने के लिए कहकर, उस दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र से और उसके लिए किए गए यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराएँगे।

अनुच्छेद 16
टैरिफ

1. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) द्वारा संचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा बाजार में अपने वाणिज्यिक विचारों के आधार पर उचित स्तरों पर स्थापित

किए जाएंगे, जिसमें प्रचालन की लागत और उचित लाभ सहित सभी प्रासंगिक कारकों का उचित ध्यान रखा जाएगा।

2. पैराग्राफ (1) के अधीन स्थापित टैरिफ को एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) द्वारा दूसरे पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरणों के पास दाखिल करना आवश्यक नहीं होगा।

3. पूर्वगामी के बावजूद, प्रत्येक पक्षकार को इस प्रकार हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा कि वह:

(क) ऐसे टैरिफ को रोके जिनका अनुप्रयोग प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का गठन करता है और जिनका प्रभाव किसी प्रतिस्पर्धी को पंगु बनाने या किसी मार्ग से किसी प्रतिस्पर्धी को बाहर करने का है, होने की संभावना है या ऐसा करने का आशय है;

(ख) प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग के कारण अत्यधिक या प्रतिबंधात्मक टैरिफ से उपभोक्ताओं की रक्षा करे; और

(ग) शिकारी या कृत्रिम रूप से कम टैरिफ से एयरलाइनों की रक्षा करे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में निर्धारित प्रयोजनों के लिए, एक पक्षकार के वायुवाहन प्राधिकरण दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों से टैरिफ स्थापित किए जाने से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकते हैं।

5. यदि कोई पक्षकार मानता है कि दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) द्वारा लिया गया टैरिफ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में निर्धारित विचारों के अनुरूप नहीं है, तो वह यथाशीघ्र दूसरे पक्षकार को अपने असंतोष के कारणों की सूचना देगा और परामर्श का अनुरोध करेगा, जो अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा। यदि पक्षकार उस टैरिफ के संबंध में किसी समझौते पर पहुँचते हैं जिसके बारे में असंतोष की सूचना दी गई है, तो प्रत्येक पक्षकार उस समझौते को प्रभावी करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा। ऐसे समझौते के अभाव में, पहले से विद्यमान टैरिफ प्रभावी रहेगा।

अनुच्छेद 17
बहुपक्षीय समझौते

1. इस समझौते को लागू करते समय, पक्षकार कन्वेन्शन के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे, जहाँ तक वे उपबंध अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओंपर लागू होते हैं।

2. यदि इस समझौते के प्रभावी होने के बाद दोनों पक्षकार किसी ऐसे बहुपक्षीय समझौते के पक्षकार बन जाते हैं जो इस समझौते में शामिल विषयों को संबोधित करता है, तो कोई भी पक्षकार यह निर्धारित करने के लिए परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि बहुपक्षीय समझौते को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को संशोधित किया जाना चाहिए या नहीं।

अनुच्छेद 18
परामर्श

1. कोई भी पक्षकार किसी भी समय इस समझौते की व्याख्या, अनुप्रयोग, कार्यान्वयन या संशोधन अथवा इस समझौते के अनुपालन पर लिखित रूप में परामर्श का अनुरोध कर सकता है।

2. जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, ऐसा परामर्श दूसरे पक्षकार द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर शुरू होगा।

अनुच्छेद 19
संशोधन

1. यह समझौता पक्षकारों के लिखित समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

2. इस प्रकार सहमत कोई संशोधन इस समझौते के अनुच्छेद 23 के उपबंधों के अनुसार प्रभावी होगा।

3. पैराग्राफ (2) के बावजूद, पक्षकार इस समझौते के अनुलग्नक में किसी संशोधन को तत्काल प्रभाव देने के लिए सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 20
विवादों का निपटारा

1. इस समझौते के अधीन उत्पन्न कोई विवाद, जिसका औपचारिक परामर्श द्वारा समाधान नहीं हुआ है, पक्षकारों की सहमति से निर्णय के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को भेजा जा सकता है। यदि पक्षकार ऐसा सहमत नहीं होते हैं, तो किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर विवाद नीचे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

2. मध्यस्थता तीन मध्यस्थों के अधिकरण द्वारा की जाएगी, जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा:

(क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नामित करेगा। इन दोनों मध्यस्थों के नामित किए जाने के 60 दिनों के भीतर वे आपसी सहमति से तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो मध्यस्थ अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;

(ख) यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ नामित करने में विफल रहता है, या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति इस पैराग्राफ के खंड (क) के अनुसार नहीं की जाती है, तो कोई भी पक्षकार अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष पक्षकारों में से किसी एक के समान राष्ट्रीयता का है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष, जो उस आधार पर अयोग्य न हो, नियुक्ति करेगा। यदि इस पैराग्राफ के अधीन अध्यक्ष या वरिष्ठतम योग्य उपाध्यक्ष तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, तो वह तीसरा मध्यस्थ किसी भी पक्षकार का राष्ट्रिक नहीं होगा।

3. जब तक अन्यथा सहमति न हो, मध्यस्थ अधिकरण इस समझौते के अनुसार अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाएँ निर्धारित करेगा और अपनी प्रक्रिया के नियम स्थापित करेगा। अधिकरण, एक बार गठित हो जाने पर, अपने अंतिम निर्णय तक अंतरिम राहत उपायों की सिफारिश कर सकता है। अधिकरण के निर्देश पर या किसी पक्षकार के अनुरोध पर, मध्यस्थता किए जाने वाले सटीक मुद्दों और अपनाई जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए सम्मेलन अधिकरण के पूर्णतः गठित होने के 15 दिनों के बाद नहीं आयोजित किया जाएगा।

4. जब तक अन्यथा सहमति न हो या अधिकरण द्वारा निर्देशित न किया जाए, प्रत्येक पक्षकार अधिकरण के पूर्णतः गठित होने के समय से 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिनों बाद देय होंगे। अधिकरण उत्तर देय होने के 15 दिनों के भीतर किसी पक्षकार के अनुरोध पर या अपने स्वयं के पहल पर सुनवाई करेगा।

5. अधिकरण सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर, या यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो दोनों उत्तर प्रस्तुत किए जाने की तारीख के बाद, लिखित निर्णय देने का प्रयास करेगा। अधिकरण के बहुमत का निर्णय प्रभावी होगा।

6. कोई भी पक्षकार निर्णय दिए जाने के 15 दिनों के भीतर उस निर्णय के स्पष्टीकरण का अनुरोध कर सकता है और ऐसे अनुरोध के 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।

7. प्रत्येक पक्षकार, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक, मध्यस्थ अधिकरण के किसी भी निर्णय या अधिनिर्णय को पूर्ण प्रभाव देगा।

8. मध्यस्थ अधिकरण के खर्चे, जिनमें मध्यस्थों की फीस और खर्चे भी शामिल हैं, पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे। इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (ख) में निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी खर्च को मध्यस्थ अधिकरण के खर्चों का हिस्सा माना जाएगा।

अनुच्छेद 21
समाप्ति

कोई भी पक्षकार किसी भी समय दूसरे पक्षकार को इस समझौते को समाप्त करने के अपने निर्णय की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी साथ-साथ भेजी जाएगी। यह समझौता सूचना प्राप्त करने के स्थान पर, दूसरे पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख की पहली वर्षगाँठ से ठीक पहले आधी रात को समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले पक्षकारों के समझौते द्वारा सूचना वापस न ले ली जाए। दूसरे पक्षकार द्वारा प्राप्ति की पावती न दिए जाने की स्थिति में, सूचना को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने के चौदह दिन बाद प्राप्त हुआ माना जाएगा।

अनुच्छेद 22
आईसीएओ के साथ पंजीकरण

यह समझौता और इसमें किए गए सभी संशोधन, हस्ताक्षर किए जाने पर, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ पंजीकृत किए जाएंगे।

अनुच्छेद 23
प्रवर्तन में प्रवेश

यह समझौता पक्षकारों के बीच राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान में उस बाद की नोट की तारीख को प्रभावी होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्रत्येक पक्षकार ने इस समझौते और इसके अनुलग्नक को प्रवर्तन में लाने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएँ पूरी कर ली हैं। यह समझौता, इसके प्रभावी होने पर, भारत गणराज्य सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच 20 मई 1993 को हस्ताक्षरित विमान सेवा समझौते का स्थान लेगा।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होकर, इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

इस दिन, की दो प्रतियों में, अंग्रेजी भाषा में, जो प्रामाणिक पाठ होगा, किया गया। इस समझौते का हिंदी और वियतनामी भाषाओं में अनुवाद तैयार किया जाएगा और जब राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा उनकी अंग्रेजी भाषा के पाठ के अनुरूपता की पुष्टि करते हुए सहमति हो जाएगी, तब उन्हें समान रूप से प्रामाणिक माना जाएगा। व्याख्या में किसी भी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

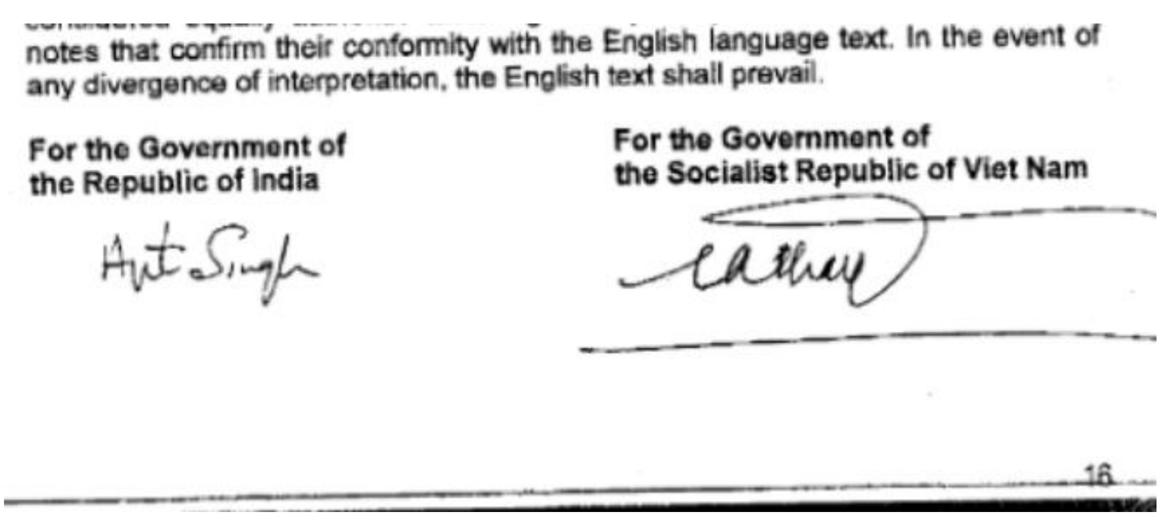
notes that confirm their conformity with the English language text. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India

For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam

16

अनुलग्नक
मार्ग अनुसूची

खंड I

भारत गणराज्य सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों के मार्ग

प्रस्थान स्थल	मध्यवर्ती स्थल	वियतनाम में स्थल	आगे के स्थल

भारत में कोई भी स्थल	आसियान क्षेत्र में एक स्थल (जो वियतनाम में विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों के अनुसार भिन्न हो सकता है)	हा नोई, हो ची मिन्ह सिटी, दा नांग, थुआ थियेन ह्यू, हाई फोंग, डिएन बिएन, लाम डोंग, न्हा ट्रांग, कैन थो, फु क्वोक	सहमति से तय किए जाने हैं

खंड II

वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों के मार्ग

प्रस्थान स्थल	मध्यवर्ती स्थल	वियतनाम में स्थल	आगे के स्थल
वियतनाम में कोई भी स्थल	आसियान क्षेत्र में एकस्थल (जो भारत में विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों के अनुसार भिन्न हो सकता है)	नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता	सहमति से तय किए जाने हैं

नोट: वियतनाम की नामित एयरलाइनों को वियतनाम के किसी भीस्थल से पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, गया, वाराणसी, भुवनेश्वर, खजुराहो, औरंगाबाद, गोवा, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, अमृतसर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद और तिरुचिरापल्ली तक केवल तृतीय और चतुर्थ स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के साथ प्रचालन करने की अनुमति होगी।

खंड III

1. खंड I और खंड II में उल्लिखितस्थलओं को आवश्यक रूप से उसी क्रम में सेवा प्रदान करना आवश्यक नहीं है।
2. निर्दिष्ट मार्गों पर मध्यवर्ती और आगे केस्थलओं को नामित एयरलाइन(ओं) के विकल्प पर किसी या सभी उड़ानों में छोड़ा जा सकता है।
3. खंड I और खंड II में निर्दिष्ट न किए गए मध्यवर्ती या आगे केस्थलओं की सेवा की जा सकती है, बशर्ते ऐसेस्थलओं और दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के किसीस्थल के बीच पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों का प्रयोग न किया जाए।
4. एक पक्षकार के राज्यक्षेत्र में दो या अधिकस्थलओं की सेवा दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(ओं) द्वारा एक ही उड़ान पर नहीं की जाएगी।